

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील संख्या 139/2011 बिरेन्द्र मांझी बनाम राज्य एवं अन्य आदेश</p> <p>संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 24626/13 बिरेन्द्र मांझी बनाम राज्य एवं अन्य में दाखिल वाद से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1036/आपूर्ति दिनांक 19.11.2011 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायत वार जॉच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 को बिरेन्द्र मांझी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत-पोड़ी खजौली, प्रखंड-दरियापुर के दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के क्रम में दुकान बंद पाई गयी थी। इस संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। विक्रेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मांग की गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि विक्रेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण, आदेश 2001 तथा संशोधित 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति शर्तों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित न्यायादेश की कंडिका 1(ए) की स्पष्ट अवहेलना एवं उक्त प्रावधान के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने का निदेश है।</p> <p>निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में विक्रेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।</p>	




अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी की पत्नी की तदीयत खराब होने के कारण अस्पताल में था (चिकित्सक की छयाप्रति पुर्जा संलग्न), जिस कारण, अपीलार्थी की दुकान बंद पायी गयी थी।


सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा Speaking order पारित नहीं किय, गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित


जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा


जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

डा।पा।उ 881 दिनांक 22/8/19

प्रतिलिपि - SDO सोनपुर को सूचना एवं आवश्यक
कार्य उर्वर (LCR मूल में संलग्न)

प्रतिलिपि - ~~NJC~~ पदाधिकारी साप को सूचना
(एवं आवश्यक कार्य उर्वर)
22/8/19

कृपि उप सहायक
जिला विधिशाखा
22/8/19 साप, छपरा।